32

संख्या :299 /I/2015-03/06/2014

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–01

देहरादून : दिनांक : 28 फरवरी, 2015

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को सोलर फोटोवोल्टाईक योजना के अन्तर्गत रू0 1.00 करोड़ में से रू0 7.99 लाख का पुनर्विनियोग विषयक।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–1577/उरेडा/डिश0सो0कु0/2014–15 दिनांक 18–10–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा डिश टाईप सोलर कुकर एवं बॉक्स टाईप सोलर कुकर लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रांश के रूप में 60% अनुदान के उपरान्त सोलर कुकर की मांग अथवा उसका उपयोग कम होने के फलस्वरूप 60% केन्द्रांश के अतिरिक्त 25% धनराशि राज्यांश के रूप में दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2014–15 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से भोजन पकाने हेतु 325 डिश टाईप सोलर कुकर एवं 325 बॉक्स टाईप सोलर कुकर पर विशेष राज्य की श्रेणी में उत्तराखण्ड राज्य के लिये अनुमन्य केन्द्रांश 60% अनुदान लाभार्थियों को दिये जाने की अनुमन्यता के साथ राज्यांश 25% अनुदान के रूप में कुल रू0 7.99 लाख के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में 325 बॉक्स एवं 325 डिश टाईप सोलर कुकर की एल–1 की दरों के उपरान्त कुल लागत रू0 31,96,050/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ राज्यांश के रूप में कुल रू0 7.99 लाख की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा संलग्न बी0एम0–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 7.99 लाख (रूपये सात लाख नियानब्बे हज़ार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	कुकर का नाम	लागत					प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि	प्रथम केश्त के सापेक्ष देय राज्यांश	प्र0वि0 की लागत के सापेक्ष कुल राज्यांश की मांग
		कुकर की सं0 एवं दर प्रति कुकर	L-1 की दरों के उपरान्त कुल लागत	केन्द्रांश 60%	राज्यांश 60%	लाभार्थी अंश			
1.	डिश टाईप	325@6594	2143050	1285700@ 3956	535600@ 1648	321750 @990	514800	160680	535600
2.	बॉक्स टाईप	325@3240	1053000	585000@ 1800	263250@ 810	204750 @630	175500	78975	263250
कुल :–			**3196050**	**1870700**	**798850**	**526500**	**690300**	**239655**	**798850**

D:\Neena\Ureda\Budget (F.Y. 2014-15)\GO reg. Budget.doc

2. उक्त राज्यांश की धनराशि का आहरण किश्तवार किया जायेगा। प्रथम किश्त 30प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष ₹ 2,39,655/- का आहरण करेंगे तथा भारत सरकार से अवशेष केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही समय–समय पर राज्यांश आहरित किया जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर उनके लिये जनपद्वार अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनवार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

5. स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार से आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपद्वार प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक के सुसंगत नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं उक्त विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा–निर्देश का कड़ाई से पालन किया जायेगा। यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मद्वार व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लाभार्थियों की सूची निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

8. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद् के परियोजनाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2015 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उक्त तिथि तक कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर/सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

10. जिला योजना में सामान्य/सब ट्राईबल प्लान के लिये धनराशि अलग से निर्गत की जायेगी।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–555/XXVII(2)/2015 दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

D:\Neena\Ureda\Budget (F.Y. 2014-15)\GO reg. Budget.doc

प्रपत्र बी0एम0–9 (भाग–एक)
(देखें पैराग्राफ 139)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवदेन

अनुदान सं0 व नामः– 21 (सामान्य)
लेखा शीर्षक (प्रत्येक योजना हेतु) –2810
मुख्य शीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा
उप मुख्य शीर्षक– 02 सोलर इनर्जी
लघु शीर्षक –102 सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यकम
विस्तृत शीर्षक–2810–02–102–03–0301–20

रू0 हजार में

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत / आयोजनेत्तर	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचत	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान / विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में आयोजनागत / आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2810–वैकल्पिक ऊर्जा– 02– सोलर इनर्जी–102–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यकम–03 – सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यकम हंतु उरेडा को सहायता–0301–उरेडा के लिए अनुदान– 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	10000.00	10000.00	799.00	799.00	9201.00	2810–वैकल्पिक ऊर्जा– 02– सोलर इनर्जी–101–सोलर थर्मल कार्यकम–03 – सोलर एनर्जी कार्यकम हेतु उरेडा को सहायता–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	500.00	1299.00	799.00	799.00	1299.00

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तो सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नही किया गया है।
संख्या आर0ई0........./ई........................../एक्स......................... दिनॉक..................

(डा0 उमाकांत पवार)
सचिव, ऊर्जा ।

उत्तरांखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या 555 / वि0अनु0–2 / 2015
देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2015
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव,
वित्त विभाग

निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषितः–
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. संबंधित विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी
3. निदेशक कोषागार 23,लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी.....................
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।